12.21 वकील अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि इनके द्वारा दिनांक 08.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC पेश किया था जो पत्रावली के संलग्न है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 08.01.2021 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC पेश किया गया, पैरोकार सरकार जवाब प्रा० पत्र पेश नहीं करना चाहते है। तहत प्रार्थना पत्र O 7 R 11 CPC सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अभिवचनों को दोहराते हुऐ कथन किया कि प्रार्थी पैरोकार सरकार ने दावे की औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की है, जैसे कि दावा की द्वितीय प्रति पेश नहीं की है, वादपत्र के कथनों के संबंध मे शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही प्रार्थना पत्र के कथनों को तस्दीक किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 725/484 वाके ग्राम हुँ का पुरा ~~खातेदार~~ के खातेदार द्वारिकाप्रसाद पुत्र बुद्धराम का निधन सन् 2014 में हो गया, जिसका इंतकाल 183 ग्राम हुँ का पुरा द्वारा तस्दीक किया है फिर भी मृत व्यक्ति के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है, मृत व्यक्तियों

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	के विरुद्ध कार्यवाही पोषणीय नहीं है। विवादित आराजी पर धारा 90 B एल आर एक्ट की कार्यवाही किया जाना आयुक्त एवं प्रशासक नगर परिषद धौलपुर की ओर से प्रस्तावित है। जिसके लिए तहसीलदार धौलपुर ने दिनांक 24.11.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी पालना पूर्ण की जाकर विवादित आराजी नगर परिषद धौलपुर के नाम आबादी दर्ज की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र 177 RTA खारिज करने का निवेदन किया है। पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 725/484 वाके ग्राम ई का पुरा तहसील व जिला धौलपुर की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। प्रकरण में 90A की कार्यवाही की जा चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वकील अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 पेश की है। जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बर 725/484 वाके ग्राम ई का पुरा गैर मु० आबादी दर्ज है। और नगर परिषद धौलपुर के नाम दर्ज है। अतः जब भूमि के सम्बन्ध में धारा 90A की कार्यवाही होकर गै०मु० आबादी दर्ज हो चुकी है, तो भूमि कृषि भूमि नहीं रही है। और ऐसी भूमि पर धारा 177 RTA की कार्यवाही किया जाना	

d/-
उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए हम प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा 177 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील हस्ब जाब्ता शामिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)